राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1212/2011/अजमेर

मैसर्स गौतम सीमेन्ट वर्क्स, ब्यावर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त अजमेर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर

निर्णय दिनांक : 04/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 89/09–10/आरएसटी/ब्यावर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 17.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त अजमेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30, 37 के तहत पारित आदेश दिनांक 12.05.2009 के अन्तर्गत कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाथी–व्यवहारी के आलौच्य वर्ष 2005–06 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2008 को किया गया जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः जांच पर पाया कि अपीलार्थी पी.सी.सी. पॉल एवं मिनरल्स पाउडर का निर्माता एवं विक्रेता है तथा उसके द्वारा मिनरल्स, गिट्टी की खरीद रूपये 42,19,528/– पर राजकीय अधिसूचना सं. एफ 4 (30) एफडी/टैक्स/डीवि./2002–145 दिनांक 22.03.2002 के तहत सैटऑफ का लाभ रूपये 40,339/– प्राप्त किया जाना पाया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा माल का विक्रय एसटी–17 प्रपत्र पर कर मुक्त था। राजकीय अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 की शर्त अनुसार सैटऑफ का लाभ केवल कर देयता की स्थिति में विक्रय पर ही देय है। अपीलार्थी द्वारा कर देयता के अभाव में अपीलार्थी को सैटऑफ का लाभ रूपये 40,339/– अस्वीकार किया गया जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आरएवी (रिफण्ड) रूपये 60,123/– स्वीकृत जारी की गई जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने मांग समझते हुए रूपये 60,123/– की मांग आरोपित किया जाना बताया है जबकि वास्तविकता यह है कि कर मुक्त 'डी' फॉर्म पर बिक्री मिनरल्स के निर्माण में कच्चे माल पर चुकाया गया कर का सैटऑफ रूपये 40,339/– का चाहा गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए सैटऑफ का लाभ रूपये 40,339/– नहीं देने के आदेश पारित किये हैं। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर के समक्ष पेश की गई। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुए निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 30 एवं धारा 37 के तहत उक्त विवादित आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है,

लगातार.....2

इसके अलावा सैटऑफ रूपये 40,339/– को अस्वीकार कर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अतः अपीलीय आदेश को निरस्त कर व्यवसाई की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया तथा कहा कि अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

4. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. व्यवसाई के धारा 30 एवं धारा 37 के संबंध में उठाई गई आपत्ति मात्र तकनीकी त्रुटि के आधार पर उठाई गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 30 का नोटिस इसलिए दिया है कि व्यवसाई का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.05.2009 को पारित कर दिया गया। इसको पुनः कर निर्धारण करने हेतु धारा 30 का अवलंबन लिया गया है और राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 30(3) के तहत निहित समयावधि के भीतर व्यवसाई को नोटिस जारी कर, कर निर्धारण किया गया है। अतः धारा 30 पर उठाई गई आपत्ति बलहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अन्य बिन्दु धारा 37 के संबंध में उठाया है जबकि हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड की भूल (A mistake apparent from the record) को नियमानुसार धारा 37 में आदेश पारित कर ठीक किया है। व्यवसाई को नोटिफिकेशन नंबर **S.No. 1409 F.4(30)FD/Tax-Div/2002-145 Dated 22.03.2012** के तहत सैटऑफ का लाभ उपरोक्त नोटिफिकेशन की शर्तें पूर्ण करने पर ही देय था जैसा कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि सैटऑफ की सुविधा उन्हीं ईकाईयों को प्रदान की गई हैं जो नई यूनिट हो, इसके अलावा अधिसूचना के अनुसार जो ईकाई जिस वस्तु पर खरीद के समय टैक्स चुकाता है उस वस्तु को विनिर्माण करके राज्य सरकार के लिए कर वसूलकर्ता हो अर्थात उसका कोई कर दायित्व बनता हो उसे ही उस वस्तु पर सैटऑफ का लाभ देय होगा। हस्तगत प्रकरण में व्यवसाई ने विनिर्माण करते हुए बिक्री पर राज्य सरकार के लिए कर के रूप में राशि एकत्रित नहीं की है। अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि विनिर्माण वस्तु की बिक्री पर वसूल किये गये कर के अनुपात में कच्चे माल पर चुकाये गये कर का सैटऑफ पाने का हकदार होगा अन्यथा नहीं। इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नोटिफिकेशन नंबर जो नीचे वर्णित है।

S.No. 1409: F.4(30)FD/Tax-Div/2002-145 Dated 22.03.2002

S.O. 392- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995), the State Government, hereby with immediate effect, allows a dealer, who has set up a new unit for manufacturing goods in the State of Rajasthan for sale by him of such goods within the State, to claim exemption from tax payable by him in respect to his turnover of such goods sold within the State, to the extent, in the manner and subject to the conditions as follows :-

(i) that such exemption shall be allowed only to the extent of tax paid under the Act, in relation to his purchases of goods from the registered dealers of the state and utilised by him as raw material in the manufacture of goods within the State;

(ii) that such exemption shall be allowed only in respect of the goods so manufactured sold within the State;

लगातार.....3

(iii) that the dealer shall prove the actual amount amount of tax paid under the Act on the raw material so used to the satisfaction of the assessing authority; and in the absence of such proof such amount may be determined by reducing his purchase price by a percentage equal to ten, plus the rate of tax notified under section 4 in respect of such goods; and

(iv) that no refund of the tax paid on raw material shall be available under this notification.

Explanation : New Unit shall mean an industrial unit which commences commercial production after coming into effect of this notification but shall not include :-

(a) an industrial unit established by transferring or shifting or dismantling an existing industry; and

(b) an industrial unit established on the site of an existing unit manufacturing similar goods.

इस प्रकार उक्त नोटिफिकेशन की पूर्ण पालना नहीं करने के कारण ही कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाई का सैटऑफ रूपये 40,339/– अस्वीकार किया है। उक्त अधिसूचना के शर्त संख्या (iv) मे स्पष्ट लिखा है कि कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये टैक्स का कोई रिफण्ड देय नही होगा। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 30 एवं 37 के तहत पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

फलतः उपरोक्तानुसार व्यवसाई की अपील अस्वीकार की जाती है।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य